



उत्तर प्रदेश शासन

Only for Content Verification and Certificate Print

उत्तर प्रदेश के पिछड़े जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

मुरादाबाद
मुरादाबाद
4003150008219
040231502240

जारी दिनांक: 08/04/2015

प्रमाणित किया जाता है कि
पुरुषपुरी
मिनारसी
वाम
तहसील
जिला

कु शीतल
पिता: राजेश कुमार
पुद्गल बरगो घाट रामवीर मेदान
मुरादाबाद
मुरादाबाद



जिस प्रकार राज्य की पिछड़े जाति के सम्बन्ध में आरक्षण करने के लिए पिछड़े जाति के लोग अनुसूचित जाति जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1952 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। वह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु शीतल पूर्वज अनुसूचित जाति (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जातजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जातजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 एवं शासनादेश संख्या 2/1/1997 टी० सी० 1111 दिनांक 20 अक्टूबर 1997 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है इसके सलाह-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या उससे अधिक नहीं है तथा इसके पास धन बल अधिनियम 25-अ के तहत तथा विविध छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

तय्यार किया
जिला मुरादाबाद
I.Y.C. कम्प्यूटर

जारी फोटो केन्द्र:
पद:
स्थान:
दिनांक:
हस्ताक्षर: 08/04/2015

एकल विद्वकी तहसील पौराण मुरादाबाद
मीरज विरगोटे, केन्द्र प्रभारी
तहसील मुरादाबाद, Muradabad

Digitized by
PARAS NATH
MAURYA

प्रमाणित करने वाली तहसील (ह)
डिजिटल हस्ताक्षरित
मुरादाबाद मुरादाबाद
दिनांक: 08/04/2015

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से तैयार किया गया है और इसका उपयोग केवल आरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र के उपयोग के लिए आवश्यक है कि यह प्रमाणित करने के लिए प्रमाणित करने वाले द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र केवल आरक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।